दिनांक 16.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना पिंढौरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2024 को थाना पिंढौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलाई घाट तिराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नितेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया एवं 02 बाल अपचारी को बाल संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई, घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.12.2024 को थाना पिंढौरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिंढौरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिंढौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नितेश निवासी किन्दरपुरा थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 19 हजार 900 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 09 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2024 को थाना कम्पिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—गीतम 2—हरवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 09 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.12.2024 को थाना कम्पिल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गीतम निवासी ग्राम अंगदपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

2—हरवेन्द्र निवासी नगला मोहन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–लूट के 09 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी डीबीबीएल गन मय 05 कारतूस 12 बोर**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंधोईन बंधे पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–दीपक 2–भानू प्रताप उल्फ लल्ला को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेन्सी डीबीबीएल गन मय 05 कारतूस 12 बोर, लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद डीबीबीएल गन, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद चित्रकूट के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त भानू प्रताप उर्फ लल्ला के विरूद्ध जनपद महोबा, चित्रकूट के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दीपक निवासी कछार पूरवा कोल गदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

2–भानू प्रताप उर्फ लल्ला निवासी सूफा थाना चरखारी जनपद महोबा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 लाइसेन्सी डीबीबीएल बन्दुक मय 05 कारतूस 12 बोर।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये आदि।

<u>जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः16.12.2024 को थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान इटहरा तिराहा पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त संतोष उर्फ प्रतीक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संतोष उर्फ प्रतीक निवासी ग्राम अल्लैया सतहरना थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेंसी रिवाल्वर मय 01 जीवित कारतूस 32 बोर**
- **चोरी के 35 हजार 950 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2024 को थाना दरगाह शरीफ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग के पास से 04 अभियुक्तों 1–आफताब 2–आशिक अली 3–साबिर 4–राजू उर्फ इक्का को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेंसी रिवाल्वर मय 01 जीवित कारतूस 32 बोर, चोरी के 35 हजार 950 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.12.2024 को थाना दरगाह शरीफ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रिवाल्वर कारतूस, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें आफताब के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त आशिक अली के विरूद्ध जनपद बहराइच, सीतापुर व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त साबिर के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आफताब निवासी नुरूद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

2–आशिक अली निवासी नुरूद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

3–साबिर निवासी नुरूद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

4–राजू उर्फ इक्का निवासी नुरूद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाइसेंसी रिवाल्वर मय 01 जीवित कारतूस 32 बोर।

2–चोरी के 35 हजार 950 रूपये नगद आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15/16.12.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ईजू मौजपुर मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–कृष्णा 2–अश्वनी कुमार 3–गुलशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कृष्णा निवासी ग्राम बूढैना थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2—अश्वनी कुमार निवासी ग्राम बूढैना थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

3—गुलशन निवासी ग्राम बूढैना थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी की 13 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **मोटर साइकिल के पार्ट्स एवं 02 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **01 अवैध पिस्टल आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2024 की रात्रि थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परिक्रमा मार्ग पर तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—समीर 2—नसीम 3—राहुल 4—फैजान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, मोटर साइकिल के पार्ट्स एवं 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अवैध पिस्टल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर निवासी राधेश्माम कॉलोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

2—नसीम निवासी मुकेरियान मोहल्ला थाना सदर बाजार जनपद मथुरा।

3—राहुल निवासी सुखदेव नगर सौखरोड थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

4—फैजान निवासी नई बस्ती बद्रीनगर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2—मोटर साइकिल के पार्ट्स एवं 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

3—01 अवैध पिस्टल आदि।

जनपद औरैया/थाना अजीतमल

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 किलो 700 ग्राम अवैध चरस**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2024 को थाना अजीतमल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हंसुलिया चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—राजकुमार 2—प्रेम हजरा एवं दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 किलो 700 ग्राम अवैध चरस, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अजीतमल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी ग्राम रोशंगपुर थाना अयाना जनपद औरैया।

2—प्रेम हजरा निवासी मुडली फुलवरिया थाना पोखरिया जनपद परसा, मधेश नेपाल।

3—दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1—06 किलो 700 ग्राम अवैध चरस।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद चन्दौली/थाना नौगढ़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **54 किलो 580 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद**

दिनॉकः 15.12.2024 की रात्रि थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसौली नहर के पास से 02 अभियुक्तों 1–जय प्रकाश 2–हरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 54 किलो 580 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जयप्रकाश के विरूद्ध जनपद चन्दौली, मथुरा, अलीगढ़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जय प्रकाश निवासी ग्राम अमरपुरधाना थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2–हरेन्द्र कुमार निवासी नालाकुंठा थाना मुडसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–54 किलो 580 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन।

- **जनपद बिजनौर/थाना श्यौहारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना श्यौहारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376घ/34/354/506

भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अर्जुन 2–चरण 3–सुमित 4–अनिल को आजीवन कारावास व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना बढ़ापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढ़ापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नौबहार उर्फ निव को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना जायस (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना जायस पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/118(1)/332ए बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सत्तार उर्फ खुन्नू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना अतर्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुन्दर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 16.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रयागराज महाकुम्भ में डीजी स्तर के तीन अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार महाकुम्भ 2025 में ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों के लिए इंडोर एवं आउटडोर प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रयागराज महाकुम्भ में आने वाले सभी पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज आज दिनाँक 16.12.24 को में डीजी स्तर के तीन अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

पुलिस लाइन झूंसी के समर्पण पंडाल, एमएनआईटी और जीआरपी प्रयागराज मे प्रशिक्षण के द्वितीय चरण की शुरुआत करते हुए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4200 से अधिक पुलिस के अधिकारियों और जवानों को महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ड्यूटी के दौरान अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गयी।

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, लखनऊ, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा द्वारा झूंसी पुलिस लाइन के समर्पण पंडाल का उद्घाटन भी किया गया। एमएनआईटी में पुलिस महानिदेशक (रूल्स एवं मैनुअल) आशीष गुप्ता एवं डीजी रेणुका मिश्रा ने जीआरपी के जवानों को प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण लखनऊ, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा ने विभिन्न जनपदों से आये कुम्भ मेला ड्यूटी में लगभग 2000 पुलिस कर्मियों को प्रयागराज के झूंसी समर्पण पंडाल में सॉफ्ट स्किल के सम्बंध में प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर पुलिस

कर्मियों द्वारा ड्यूटी करने तथा वास्तविक पुलिसिंग के सम्बंध में जानकारी दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री भानु भास्कर द्वारा प्रशिक्षण की विशेषता, पुलिसिंग, आपदा एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी गयी। एसएसपी कुम्भ श्री राजेश द्विवेदी द्वारा पुलिस कर्मियों को व्यवहार एवं सॉफ्ट स्किल के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

एमएनआईटी प्रयागराज में जनपदीय कुम्भ मेला ड्यूटी में आये लगभग 1200 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक (रूल्स एवं मैनुअल) आशीष गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस कर्मियों को यह प्रेरणा दी कि महाकुंभ में उनकी भूमिका जनता के जीवन में स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालेगी । उन्होंने 1977 से लेकर 2013 तक के कुंभ अनुभव साझा करते हुए इसे एक गौरवपूर्ण जिम्मेदारी बताया।

पुलिस आयुक्त, प्रयागराज तरुण गाबा ने वर्ष 2019 के कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए बताया कि पुलिस के मधुर व्यवहार ने जनता के मन में एक नई छवि बनाई है, और महाकुंभ–2025 में इस छवि को और मजबूत करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने घाटों पर स्नानार्थियों के साथ संवाद, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के हर पहलू में उत्कृष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. सतीश कुमार (सेनानायक, SDRF) ने टीम वर्क और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर चर्चा की, साथ ही 2019 के कुंभ की घटनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि भीड़ प्रबंधन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।

डीजी रेणुका मिश्रा ने प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में पुलिस लाइन जीआरपी प्रयागराज में प्रदेश के अलग–अलग जिलों से आये 1000 जवानों और पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ,कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर का प्रशिक्षण देकर उनके हौसले बढ़ाया। महाकुंभ–2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयागराज पुलिस का यह प्रशिक्षण सत्र न केवल पुलिस कर्मियों की व्यावसायिकता को बढ़ावा देगा, बल्कि श्रद्धालुओं को एक सकारात्मक और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने में भी सहायक होगा।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि:—

" 2019 कुम्भ में श्रद्धालुओं की सेवा और मधुर व्यवहार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। कुम्भ 2019 में पुलिसकर्मियों के कठिन परिश्रम और विनम्र व्यवहार को पूरे विश्व में सराहा गया था। एक बार फिर दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ 2025 के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है। पुलिस के जवानों और अधिकारियों को श्रद्धालुओ के साथ अच्छे व्यवहार के लिए अधिकारियों, विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं बिहेवियरल साइंटिस्टों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें जै मुंबई के भी प्रशिक्षकों को भी शामिल किया गया है। कुम्भ मे उत्तर प्रदेश पुलिस का भीड़ प्रबंधन एवं व्यवहार कुशलता एक ग्लोबल केस स्टडी के रूप में सराहा गया है और एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी। "

प्रशिक्षण शिविर महाकुम्भ मेला 2025
जीआरपी